# प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन

## अपव्यय

अपव्यय से हमारा तात्पर्य है, प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही बच्चे को विद्यालय की किसी भी शिक्षा से हटा लेना

## अवरोधन

किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना

NOTE – भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख संविधान 42 वें संशोधन द्वारा हुआ।

समवर्ती सूची वाले विषय पर कानून केन्द्र व राज्य दोनों बना सकते हैं।

## प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास

Art (21 A) → 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

Art 29 (2) → राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म जाति, भाषा प्रजाति या इनमें किसी के आधार पर प्रवेश लेने से रोकेगी नहीं

Art → 30 →
शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार

धारा → 45 →
20 वर्ष के अन्तर्गत के बच्चे जबतक वो 14 वर्ष के नही हो जाते राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा

Art - 343 →
देव नागरीय लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी

Art 350 →
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृ भाषा मे

Art - 351 —
हिन्दी भाषा के विकास व वृद्धि के निर्देश।

सर्व शिक्षा अभियान के दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया तथा बच्चे को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया गया।

संस्थागत सुधार→ सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप मे राज्य मे संस्थागत सुधार किये जायेंगे राज्यो को अपनी मौजूदा शैक्षिक पद्धति का वस्तु परक मुल्यांकन करना होगा जिसमे शैक्षिक प्रशासन स्कूलो मे उपलब्धि स्तर वित्तीय मामले विकेन्द्रीकरण तथा समुदायिक स्वामित्व राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा शिक्षको नियुक्ति तथा शिक्षको की तैनाती को तर्क संगत बनाना मानीटरिंग तथा मुल्यांकन लडकियो तथा अनुसूजाति जन जाति तथा सुविधा विहिन वर्गो के लिए शिक्षा निजी स्कूलों तथा E.C.C.E सम्बन्धी मामले शामिल होंगे कई राज्यो में प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था मे सुधार के लिए संस्थागत सुधार भी किये गये

सतत वित्त पोषण→ सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्त पोषण सतत जारी रखा जाय केन्द्र व राज्य सरकारो के वित्तीय सहभागिता पेर दीर्घ कालिन परिप्रेक्ष की अपेक्षा है।

## संस्थागत क्षमता निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान / राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् / राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् / सीमेट (SIEMAT) जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिक की परिकल्पना की गयी है।

गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेषज्ञों के लिए स्थायी सहयोग प्रणाली की आवश्यकता है

## शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा में सुधार

इसमें संस्थागत विकास नयी पहल को शामिल करके लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियाँ अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्यधारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

## योजना इकाई के रूप में बस्ती →

सर्वशिक्षा अभियान आयोजना की इकाई के रूप में बस्ती के लिए योजना बनाता है।

नागरिक कार्य →

नागरिक कार्य घटक सर्व शिक्षा अभियान के तहत महत्वपूर्ण है। इस घटना के अधिक बड़े पैमाने पर कुल परियोजना के बजट का 33% तक निवेश है। स्कूल की बुनियादी शिक्षाओं को बच्चों तक पहुचाने का प्रावधान और उन्हें बनाये रखने का कार्य मे मदद करना है। सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उप जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रो के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान जो कि शैक्षिक समर्थन मे मदद करता है। जिसकी गुणवत्ता मे सुधार की दिशा मे एक उत्प्रेरक का कार्य करता है।

अभिनव —

अभिनव कार्यक्रम को स्कूल में लागू करने की भूमिका 6–14 आयु के सारे बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय की सक्रिय भागीदार

## विद्यालय अनुदान →

परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपया प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था विद्यालय अनुदान में से 1000 स्कूल पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार के लिए दिया गया था। बाकी निधि को गैर कार्यात्मक उपकरण को कार्यात्मक बनाने में स्कूल सौन्दर्यी करण मरम्मत और फर्नीचर अनुरक्षण, संगीत, वाद्ययन्त्र और और स्कूलों के सम्पूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया गया था।

## शिक्षक अनुदान →

कक्षा कार्यवाही के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के क्रम के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी एल०पी०/यू०पी० शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा कार्यवाही के लिए शिक्षकों ने अनुदान को प्रयोगात्मक उत्पादन और T.L.M उपलब्ध कराने किया